रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2432]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2019/श्रावण 4, 1941**
No. 2432]	**NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2019/SHRAVANA 4, 1941**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2019

का.आ. 2672(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(अधिनियम) की धारा 139 की उप-धारा(1ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा व्यक्तियों के निम्निलिखित वर्गों को इस पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2019-20 के आगे से आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है, नामत:

व्यक्तियों के वर्ग:-

1. (i) एक अनिवासी, जो कंपनी नहीं है; अथवा

(ii) एक विदेशी कंपनी

जिनके पास पिछले वर्ष के दौरान भारत में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थापित निवेश निधि में किसी भी निवेश से प्राप्त प्रभार्य आय है जोकि अधिनियम के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरणः-इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु-

क) "निवेश निधि" से तात्पर्य एक न्यास अथवा एक कंपनी अथवा सीमित दायित्व सहभागिता अथवा एक निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित अथवा समाविष्ट किसी निधि से है, जिसे वर्ग I अथवा वर्ग II वैकल्पिक निवेश निधि के

रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और प्रतिभूति एवं भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाए गए प्रतिभूति एवं भारतीय विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनिमय, 2012 के अंतर्गत विनिगमित किया गया है।

ख) "अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जोकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में निर्धारित किया गया है।

2. शर्तें-

उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित व्यक्तियों के वर्गों के मामले में:-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 194 ठखख के प्रावधानों के अनुसार लागू कर की दर पर, निवेश निधि द्वारा ऐसी आय पर किसी देय आयकर की स्रोत पर कर कटौती की जाती है और केंद्र सरकार को प्रेषित की जाती है; और

(ii) पिछले वर्ष के दौरान, ऐसी कोई आय नहीं है जिसके लिए उपर्युक्त व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए, अन्यथा कर विवरणी फाइल करने के लिए दायी है।

3. उक्त वर्ग के व्यक्तियों को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त नहीं होगी जहां उसमें निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी भरने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) अथवा धारा 148 अथवा धारा 153क अथवा धारा 153ग के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।

4. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 225/79/2019-आईटीए-II /अधिसूचना सं. 55/2019]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2019

S.O. 2672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, hereby exempts the following class of persons, subject to the conditions specified hereinafter, from the requirement of furnishing a return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act from Assessment Year 2019-20 onwards, namely:-

1. Class of persons. -

(i) a non-resident, not being a company; or

(ii) a foreign company,

who have any income chargeable under the said Act during a previous-year from any investment in an investment fund set up in an International Financial Services Centre (IFSC) located in India.

Explanation:- For the purposes of this paragraph.-

(a) "investment fund" means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or Category II Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

2. Conditions. -

In case of class of persons referred to in para 1, -

(i) any income-tax due on income of the said class of persons has been deducted at source and remitted to the Central Government by the investment fund at the tax-rate in force as per provisions of section 194LBB of the said Act; and

(ii) there is no other income during the previous year for which the said class of persons, is otherwise liable to file the tax-return.

3. The exemption from the requirement of furnishing a return of income shall not be available to the said class of persons where a notice under sub-section (1) of section 142 or section 148 or section 153A or section 153C of the said Act has been issued for filing a return of income for the assessment year specified therein.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 225/79/2019-ITA.II/Notification No. 55/2019]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.27 17:08:02 +05'30'